FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. मुकाम बायतू

बिसनाराम वगैरा बनाम लिखमाराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा० का० अ० 111,128 RLRAct नं. 252/17 सन् 2017

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/10/17	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री सुरेश कुमार पूनड़ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111,128 RLRAct राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 14/11/2017 को पेश हो।	
14/11/17	प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी एडी क्रम: प्राप्त नहीं हुई है। इन्तजार होकर पत्रावली आइन्दा दिनांक 13/12/17 को पेश हो।	
13/12/17	प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल व तामिल अप्राप्त / श्रीमान पीठासीन अधिकारी अवकाश में पधारे हुए है अत: पत्रावली आइन्दा दिनांक 03/01/18 को पेश हो।	

03/01/18 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई जिनको 1 माह से अधिक समय व्यतीत हो चुका है जिनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थी के खातेदारी खेतों के कीये गये सीमाज्ञान की सीमाज्ञान रिपोर्ट पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया की प्रार्थी द्वारा पूर्व में सीमाज्ञान करवाया गया परन्तु मौके पर विवाद होने से प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों की नक्शाबन्दी कर खेत के चारों ओर पक्के निशान स्थापित करवाना आवश्यक है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नक्शाबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नक्शाबन्दी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू. अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नक्शाबन्दी मौके पर सुल्ह जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / वाद / 2018 / 661

दिनांकः– 03/01/2018

प्रार्थीगण | **बनाम** | **विप्रार्थीगण**

1. विसनाराम पुत्र दुर्गाराम वगैरा 3 जाति मेघवाल निवासी खतियों का तला, चौखला, तह. बायतु जिला बाड़मेर

1. लिखमाराम पुत्र मानाराम वगैरा 60 निवासी खतियों का तला, चौखला, तह. बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 252 / 17

आदेश

मौजा खतियों का तला पटवार हल्का चौखला के खेत खसरा नम्बर 578 रकबा 116.04 बीघा, खसरा नम्बर 579 रकबा 39.09 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भू.अ. निरीक्षक से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना, नागाणा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(हेमाराम चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाड़मेर

क्रमांक / वाद / 2018 / 662 to 666

दिनांकः– 03/01/2018

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी हल्का चौखला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री विसनाराम पुत्र दुर्गाराम वगैरा 3।
4. विप्रार्थी श्री लिखमाराम पुत्र मानाराम वगैरा 60 ।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, बनागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाड़मेर